



JALAUN POLICE

दिनांक – 30.12.2025

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में कोतवाली उरई पुलिस व थाना एएनटीएफ टीम जिला बाराबंकी की संयुक्त टीम द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तगणों को 81.824 किलोग्राम नाजायज गांजा (कीमत करीब 15,00,000 रुपये पन्द्रह लाख रुपये) व एक अदद कार अल्टो 800 व एक अदद एण्ड्राइड मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 30.12.2025 को कोतवाली उरई पुलिस व थाना एएनटीएफ टीम जिला बाराबंकी की संयुक्त टीम द्वारा थाना उरई क्षेत्रान्तर्गत में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी, नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर कोतवाली उरई पुलिस व थाना एएनटीएफ टीम जिला बाराबंकी की संयुक्त टीम द्वारा इगलासपुरा चौराहे के पास से अभियुक्तगण 1. अंकुर उर्फ पवन शिवहरे पुत्र रामप्रकाश शिवहरे 2. श्याम शिवहरे पुत्र रामप्रकाश शिवहरे निवासी गण मोहल्ला राजेन्द्र नगर, हनुमान चबूतरा के पास कोतवाली उरई जनपद जालौन को 81 किलो 824 ग्राम नाजायज गांजा व एक अदद अल्टो कार 800 के साथ गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

जिसके संबंध में कोतवाली उरई में अन्तर्गत मु0अ0सं0 748/2025 धारा 8/20/29/60 NDPS ACT अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया कि साहब हम लोग गांजा का क्रय सस्ते दामों में करते हैं जिसे मंहगे दामों पर ग्राहकों को बेचते हैं इस प्रकार जो पैसा मिलता है। उसमें हम अपने शौक-शान व पूर्व में दर्ज मुकदमों की पैरवी के लिए खर्च करते हैं। आज हम दोनों भाई अल्टो 800 कार में गांजा रखकर बचने के लिए जा रहे थे तभी आप लोगो को चेकिंग करता देखकर हम लोंग बचने के लिये भागे। तभी आप लोगो ने हम लोगों को पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अंकुर उर्फ पवन शिवहरे पुत्र रामप्रकाश शिवहरे उम्र 35 करीब वर्ष निवासी मोहल्ला राजेन्द्र नगर, हनुमान चबूतरा के पास कोतवाली उरई जनपद जालौन।
2. श्याम शिवहरे पुत्र रामप्रकाश शिवहरे उम्र करीब 40 वर्ष निवासी मोहल्ला राजेन्द्र नगर, हनुमान चबूतरा के पास कोतवाली उरई जनपद जालौन।

बरामदगी का विवरण-

1. 81.824 कि०ग्रा० नाजायज गांजा
2. 01 अदद एण्ड्रायड मोबाइल
3. एक अदद कार अल्टो 800 रजिस्ट्रेशन संख्या UP92AM1146 जिसको सीज कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया।

आपराधिक इतिहास –

1. अंकुर उर्फ पवन शिवहरे पुत्र रामप्रकाश शिवहरे-

1. मु०अ०सं० 1464/19 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना कोत०उरई जनपद जालौन
2. मु०अ०सं० 1289/18 धारा 147/148/149/323/504/506 भादवि थाना कोत०उरई जनपद जालौन।
3. मु०अ०सं० 419/20 धारा 8/20 NDPS अधि० थाना जालौन जनपद जालौन।
4. मु०अ०सं० 123/21 धारा 8/20 NDPS अधि० थाना गोहन जनपद जालौन
5. मु०अ०सं० 583/15 धारा 272 भादवि व 60/72 आब०अधि० व 16/177/207 मोटर वाहन अधि० थाना एट जनपद जालौन
6. मु०अ०सं० 748/2025 धारा 8/20/29/60 NDPS अधि० थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन

2. श्याम शिवहरे पुत्र रामप्रकाश शिवहरे-

1. मु०अ०सं० 620/25 धारा 115(2)/191(2)/324(4)/ 351(2)/352 BNS थाना कोत०उरई जनपद जालौन।
2. मु०अ०सं० 1289/18 धारा 147/148/149/323/504/506 भादवि थाना कोत०उरई जनपद जालौन।
3. मु०अ०सं० 748/2025 धारा 8/20/29/60 NDPS ACT थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन

अभियुक्तगणों के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी आस-पास के जनपदों/थानों से जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उरई मय टीम।
2. थाना एएनटीएफ टीम जिला बाराबंकी।